संख्या-156/2021/3742/26-3-2021-4(358)/07 टी.सी.III

प्रेषक,

अशोक कुमार यादव,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।

2- निदेशक, जनजाति विकास, उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 30 दिसम्बर 2021

विषय: **वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र-2021-22 में पूर्वदशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति से सम्बन्धित डाटा को जनपद स्तर से सत्यापित करने एवं धनराशि अन्तरण करने की समय सीमा में वृद्धि किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण के पत्रांक-2937/स0क0/शिक्षा-अ/7/52/2021-22, दिनांक-28.12.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र-2021-22 में पूर्वदशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति से सम्बन्धित डाटा को जनपद स्तर से सत्यापित करने एवं धनराशि अन्तरण करने की समय सीमा में वृद्धि किये जाने के संबंध में प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- निदेशक, समाज कल्याण द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत जनपद स्तर से जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति से अनुमोदनोपरान्त डाटा को वेरीफाई करने हेतु पूर्व में निर्धारित समयावधि दिनांक-03.12.2021 से दिनांक-22.12.2021 को संशोधित करते हुये दिनांक 30.12.2021 एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत जनपद स्तर से जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति के अनुमोदनोपरान्त डाटा को वेरीफाई करने हेतु पूर्व में निर्धारित दिनांक-25.12.2021 तक की समय सीमा संशोधित करते हुये दिनांक-02.01.2022 किये जाने तथा उसके उपरान्त वेरीफाईड डाटा के आधार पर डिमांड डाटा जनरेट करने तथा पात्र छात्र-छात्राओं को भुगतान करने हेतु समय सीमा पूर्वदशम छात्रवृत्ति हेतु दिनांक 27.12.2021 के स्थान पर दिनांक-04.01.2022 एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति हेतु दिनांक 28.12.2021 के स्थान पर दिनांक-06.01.2022 तक की वृद्धि की जाती है।

3- अतएव उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त संशोधित समय-सारिणी का अपने स्तर से प्रचार-प्रसार कराते हुये सुसंगत छात्रवृत्ति नियमावलियों में उल्लखित प्राविधानों के अनुसार शैक्षिक सत्र 2021-22 में दशमोत्तर योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

अशोक कुमार यादव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

पृ0सं0-156/2021/3742 (1)/26-3-2021 तद्दिनंाकः-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।

2- प्रमुख सचिव/सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/ वित्त/ नियोजन/ मा0शिक्षा/उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा/ व्यवसायिक शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।

3- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।

4- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

5- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0लखनऊ।

6- निदेशक, पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0लखनऊ।

7- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

8- निदेशक, एन0आई0सी0 राज्य इकाई, योजना भवन, लखनऊ।

9- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।

10- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

अशोक कुमार यादव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।